

नवीन औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मरुथ्यु प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उत्तरा)

संश्लेषा शोपडा/वृषभि

1

दिनांक: १२.१०.२०११

七

मैसर्ज लोडिट बिल्डवेल प्रा० लि०

323, प्लाट सं 03, कम्पनी सेंटर, सैकटर - 14,
गोहिनी, दिल्ली 110085

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.11 के संर्व में आप हारा प्रस्तावित युप हाऊसिंग भवन निर्माण की भूखण्ड गंगाजल चैम्पिन - 01 02 03 सैक्यटर - 108. नौज़ु घर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती

五

- यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दस में) तक वैध है।

मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वास्थ्य किसी प्रकार से भी प्रभावित(एकेकटेड) नहीं माना जायेगा।

3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।

4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा ।

5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पाले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव(प्रोजेक्टेड) न हों ।

6. विजली की लाईन से पांच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।

7. आंवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए ।

8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी नौकरी पर कभी भी जॉब की जा रही के अनुसार ही कराया जायेगा । आंवंटी तहखाने का निर्माण कार्य स्पेसफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण करने के बाद ही भूलूल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

9. आंवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

10. सड़क पर अथवा बैक लेन में कोई ऐसा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।

11. आंवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आंवंटी उसे ढकेगा ।

12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बास्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने के दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा ।

13. आंवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त करने से प्रस्तुत करना होगा ।

14. आंवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।

15. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधिनों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मात्र पर्यावरण सम्बन्धित आनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति के निरस्त माना जायेगा एवं नोएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।